न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

गिसाल नं0 1055/दावा/2015
(पूर्व गि0नं0 556/2011)
दायरा 07/11/2011

उनवान

ईशाकशाह पुत्र मजीद शाह जाति फकीर मुसलमान निवासी खानपुर पीपल्दा हाल निवासी खानपुर तह0 खानपुर

— वादी

बनाम्

1. अब्दुल रसीद पुत्र नामालुम जाति फकीर मुसलमान निवासी पीपल्दा तह0 खानपुर
2. गुलाबचंद पुत्र पन्नालाल जाति महाजन निवासी पीपल्दा तह0 खानपुर
3. बृजमोहन पुत्र पन्नालाल जाति महाजन निवासी पीपल्दा मृतक कायम मुकामान
   3/1 भुनेशकुमार पुत्र बृजमोहन जाति महाजन निवासी पीपल्दा तह0 खानपुर
   3/2 महावीर पुत्र बृजमोहन जाति महाजन निवासी पीपल्दा तह0 खानपुर
   3/3 अमित पुत्र बृजमोहन जाति महाजन निवासी पीपल्दा तह0 खानपुर
   3/4 मिथलेशबाई पुत्री बृजमोहन जाति महाजन निवासी पीपल्दा तह0 खानपुर
   3/5 कन्याबाई पुत्री बृजमोहन जाति महाजन निवासी पीपल्दा तह0 खानपुर
4. फूलचंद पुत्र पन्नालाल जाति महाजन निवासी पीपल्दा तह0 खानपुर
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार खानपुर

— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– 1. श्री इन्दरलाल गुप्ता अधिवक्ता – वादी
2. श्री निसार मोहम्मद मंसूरी अधिवक्ता – प्रतिवादी
3. श्री ओमप्रकाश गोयल अधिवक्ता – प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 23/10/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने एक वाद धारा 88, 91, 92(ए), 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम पीपल्दा की जमाबंदी सं0 2034–37 की खतौनी सं0 89 की ख0नं0 249 की 0.05 बीघा, ख0नं0 379/467 की 11.12 बीघा कुल 2 किता की 11.17 बीघा आराजी स्थित है, जो शुभरातीशाह पुत्र सांवलशाह फकीर निवासी पीपल्दा के खाते की है। शुभरातीशाह की मृत्यु सन् 1980 में हो गई है। शुभराती शाह के 1 लड़की बन्नो उर्फ बानों थी, जिसकी शादी मजीदशाह के साथ हुई थी। मजीदशाह के पिता का नाम दिलावरशाह था। शुभरातीशाह का वारिस उत्तराधिकारी वादी ईशाकशाह ही है। वादी, शुभरातीशाह की पुत्री बानो का पुत्र है। वादी के पिता एवं दादा का तथा कां का इंतकाल हो गया है। अब वादी ही वारिस है और आराजी मुतनाजा का हकदार है। ग्राम पंचायत धानौदाकलां ने शुभरातीशाह के मरने के बाद नामा0सं0 90 दिनांक 27.12.1980

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

को अब्दुल रसीद पुत्र दिलावर शाह के नाम खोलकर तस्दीक कर दिया, परंतु उक्त नामान्तकरण वादी के टीनेंसी अधिकारों के प्रति बेअसर है। अब्दुलरसीद पुत्र दिलावर शाह नाम का कोई व्यक्ति शुभरातीशाह तथा वादी के खानदान में नहीं है और न ही इस नाम का कोई व्यक्ति पीपल्दा में है। दिलावरशाह वादी के दादा का नाम है, दिलावरशाह के मजीदशाह नाम का एक ही पुत्र है, दूसरा नहीं है। नामान्तकरण तस्दीक करते समय वादी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, हो सकता है मजीद के स्थान पर रसीद नाम दर्ज हो गया हो। इस आराजी पर अब्दुल रसीद का कभी कब्जा ही नहीं रहा। आराजी ख0नं0 249 में एक मजार मकबरा बना हुआ है और यह माफी की है। बाद में जरिये नामा0सं0 119 से उक्त आराजी माफी मकबरा के नाम दर्ज कर दी गयी है, जिसका खाता प्रथक हो गया है। उक्त ख0नं0 379/467 पर प्रतिवादीगण फूलचंद, गुलाबचंद, बृजमोहन का कब्जा है। वादी के पिता के मरने के बाद वादी ने प्रतिवादीगण को आराजी पांती से जुपा दी थी। प्रति0नं0 8 वर्ष से पांती देना बंद कर दिया। वादी ने प्रतिवादीगण से जमीन से कब्जा छोड़ने के लिये कहा तो वे इंकार हो गये, अंतिम बार बैसाख सुदी 3 सं0 2068 तारीख 6.5.2011 को कब्जा छोड़ने से इंकार होने एवं प्रति0 कम 4 द्वारा गलत रूप से अब्दुल रसीद का नाम खाते में दर्ज करने से तथा दुरूस्ती से इंकार हो जाने से वाद हेतु उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी का कब्जा बहैसियत अतिक्रमी चला आ रहा है, जो बेदखल होने योग्य है। अतः ग्राम पीपल्दा की ख0नं0 379/467 की 11.12 बीघा आराजी का वादी को खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे तथा अब्दुलरसीद का नाम काटा जावे तथा प्रति0 1 लगा0 3 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जाने की डिक्री प्रदान करने की कृपा करें तथा अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे।

वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 नं0 1 व 5 के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रति0नं0 2 लगा0 4 की ओर से श्री ओमप्रकाश गोयल एडवोकेट ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों से असहमति प्रकट करते हुये जवाबदावा पेश किया कि प्रति0 2 लगा0 4 का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। हमने शुभरातीशाह से उसके जीवनकाल में पुराना ख0नं0 237 की 5.06 बीघा आराजी जिसका वर्तमान ख0नं0 204 रकबा 4.17 बीघा है, को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि0 6.6.66 से खरीद करके कब्जा प्राप्त किया था। तब से प्रतिवादीगण 46 वर्ष से इस आराजी पर काबिज हैं। वादी का वाद मय खर्चा खारिज किया जावे। दौराने वाद प्रति0नं0 3 के फौत हो जाने पर प्रति0नं0 3/1 लगा0 3/5 को कायम मुकामान दर्ज किया गया। वादी के वाद एवं प्रतिवादीगण के जवाबदावा के आधार पर विवादित बिन्दूओं पर निम्नप्रकार तनकीयात कायम की गयी।

1. आया ग्राम पीपल्दा में खतौनी नं0 89 की ख0नं0 249, 379/467 की कुल 11.17 बीघा आराजी शुभरातीशाह पुत्र सांवलशाह के खाते स्थित है ? — वादी

2. आया वादी मृतक शुभरातीशाह का वारीस है ? — वादी

3. आया नामातंरकरण नं0 90 दिनांक 27.12.1980 वाद पत्र की मद नं0 3 में वर्णित आधारों पर वादी के टीनेंसी अधिकारों पर बेअसर है ? — वादी

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

4. आया ख0नं0 379/467 की 11.12 बीघा आराजी पर प्रति0 2 लगा0 4 ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है ? — वादी

5. आया वादी को दिनांक 6.5.2011 को प्रतिवादी द्वारा कब्जा नहीं हटाने से वाद हेतु उत्पन्न हुआ है ? — वादी

6. आया प्रति0 2 लगा0 4 ने शुबरातीशाह से पुराने ख0नं0 257 रकबा 5.06 बीघा, जिसके नये ख0नं0 204 रकबा 4.17 बीघा हो गये हैं दिनांक 6.6.66 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, इसका क्या प्रभाव है ? — प्रतिवादी

7. अनुतोष

अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में वादी ईशहाक शाह, गवाह अलीमोहम्मद के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज Exp1 लगायत Exp6 प्रदर्श कराये। अन्य साक्ष्य से इंकार करने पर अधिवक्ता वादी की सहमति से साक्ष्य वादी बंद की जाकर अधिवक्ता प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने पक्ष के समर्थन में प्रति0 गुलाबचंद, गवाह छीतरलाल, ओमप्रकाश के बयान दर्ज कराये तथा असल रजिस्ट्री बैनामा दिनांक 6.6.1966 Exd1 प्रदर्श कराया गया। अन्य साक्ष्य से इंकार करने पर अधिवक्ता वादी की सहमति से साक्ष्य वादी बंद की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम पीपल्दा की वादग्रस्त आराजी 2 किता की 11.17 बीघा शुभरातीशाह पुत्र सांवलशाह के खाते की है, जो फौत हो चुका है। इनकी एक मात्र वारिस पुत्री बन्नो उर्फ बानों थी, जिसकी शादी मजीदशाह के साथ हुई थी। वादी बन्नों उर्फ बानों व मजीदशाह का एक मात्र वारिस पुत्र है। वादी के पिता एवं दादा का तथा मां का इंतकाल हो गया है। इस प्रकार खातेदार शुभरातीशाह का वारिस एवं उत्तराधिकारी वादी ईशाकशाह ही है और आराजी मुतनाजा का हकदार है। ग्राम पंचायत धानौदाकलां ने गैरकानूनी रूप से शुभरातीशाह के मरने के बाद नामा0सं0 90 दिनांक 27.12.1980 को अब्दुल रसीद पुत्र दिलावर शाह के नाम तस्दीक कर दिया, जो वादी के टीनेंसी अधिकारों के प्रति बेअसर है। अब्दुलरसीद पुत्र दिलावर शाह नाम का कोई व्यक्ति शुभरातीशाह तथा वादी के खानदान में नहीं है और न ही इस नाम का कोई व्यक्ति पीपल्दा में है। दिलावरशाह वादी के दादा का नाम है, दिलावरशाह के मजीदशाह नाम का एक ही पुत्र है, दूसरा नहीं है। नामान्तकरण तस्दीक करते समय वादी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। आराजी ख0नं0 249 में एक मजार मकबरा बना हुआ है और यह माफी की है। बाद में जरिये नामा0सं0 119 से उक्त आराजी माफी मकबरा के नाम दर्ज कर दी गयी है, जिसका खाता प्रथक हो गया है। ख0नं0 379/467 पर प्रतिवादीगण 2 लगा0 4 का कब्जा है। हमने प्रतिवादीगण को आराजी पांती से जुपाई थी। इन्होंने 8 वर्ष से पांती देना बंद कर दिया। हमने इनसे कब्जा छोड़ने के लिये कहा तो वे इंकार हो गये। हमने गवाहान के बयान कराये हैं तथा राजस्व रेकार्ड की नकलें पेश की हैं, जिनसे हमारा दावा साबित है। हमारा दावा डिकी करें तथा वादी को ग्राम पीपल्दा की ख0नं0 379/467 की 11.12 बीघा आराजी

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। प्रति0नं0 1 का नाम खारिज किया जावे तथा प्रति0 1 लगा0 3 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी 2 लगा0 4 ने अपनी बहस में जवाबदावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादग्रस्त आराजी पर हमारा कोई कब्जा नहीं है और न ही हमारा इस आराजी के संबंध में कोई ऐतराज है। हमने तो शुभरातीशाह से उसके जीवनकाल में पुराना ख0नं0 237 की 5.06 बीघा आराजी जिसका वर्तमान ख0नं0 204 रकबा 4.17 बीघा है, को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि0 6.6.66 से खरीद करके कब्जा प्राप्त किया था। हम आराजी खरीद दिनांक से अर्थात 46 वर्ष से भी अधिक समय से इस आराजी पर काबिज हैं। हमने गवाहान के बयान कराये हैं तथा असल रजिस्ट्री पेश की है। वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। मय खर्चा खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। तनकीवार निर्णय निम्नप्रकार पारित किया जाता है :–

1. आया ग्राम पीपल्दा में खतौनी नं0 89 की ख0नं0 249, 379/467 की कुल 11.17 बीघा आराजी शुभरातीशाह पुत्र सांवलशाह के खाते स्थित है ? — वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत Exp5 नकल जमाबंदी सं0 2036–39 की खतौनी सं0 89 पर ख0नं0 249 की 0.05 बीघा, 379/467 की 11.12 बीघा कुल 2 किता की 11.17 बीघा आराजी शुभरातीशाह पुत्र सांवलशाह फकीर मुसलमान सा.दे. के खाते दर्ज है। इस प्रकार वादी ने इस तनकी को बखूबी साबित कराया है। ऐसे में यह तनकी वादी के पक्ष में एवं खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

2. आया वादी मृतक शुबरातीशाह का वारीस है ? — वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने अपने वाद में कथन किया है कि ग्राम पीपल्दा की वादग्रस्त आराजी 2 किता की 11.17 बीघा शुभरातीशाह पुत्र सांवलशाह के खाते की है, जो फौत हो चुका है। इनकी एक मात्र वारिस पुत्री बन्नो उर्फ बानों थी, जिसकी शादी मजीदशाह के साथ हुई थी। वादी बन्नों उर्फ बानों व मजीदशाह का एक मात्र वारिस पुत्र है। वादी के पिता एवं दादा का तथा मां का इंतकाल हो गया है। इस प्रकार खातेदार शुभरातीशाह का वारिस एवं उत्तराधिकारी वादी ईशाकशाह ही है और आराजी मुतनाजा का हकदार है। अब्दुलरसीद पुत्र दिलावर शाह नाम का कोई व्यक्ति शुभरातीशाह तथा वादी के खानदान में नहीं है और न ही इस नाम का कोई व्यक्ति पीपल्दा में है। दिलावरशाह वादी के दादा का नाम है, दिलावरशाह के मजीदशाह नाम का एक ही पुत्र है, दूसरा नहीं है। वादी ने अपने इस कथन के समर्थन में स्वंय के एवं गवाह अलीमोहम्मद के बयान कराये हैं, वहीं प्रतिवादीगण ने वादी के इस कथन का विरोध नहीं किया है। ऐसे में यह तनकी वादी के पक्ष में एवं खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

3. आया नामातंरकरण नं0 90 दिनांक 27.12.1980 वाद पत्र की मद नं0 3 में वर्णित आधारों पर वादी के टीनेंसी अधिकारों पर बेअसर है ? —— वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने अपने वाद की मद नं0 3 में कथन किया है कि "ग्राम पंचायत धानौदाकलां ने शुभरातीशाह के मरने के बाद नामातंरकरण नं0 90 दिनांक 27.12.1980 को अब्दुल रसीद पुत्र दिलावर शाह के नाम खोलकर तस्दीक कर दिया परन्तु उक्त नामातंरकरण वादी के टीनेंसी अधिकारों के प्रति निम्न आधारों पर बेअसर है। वादी ही एक मात्र वारिस एवं खातेदार टीनेंट है:—

अ— यह कि अब्दुल रसीद पुत्र दिलावर शाह नाम का कोई व्यक्ति शुभरातीशाह तथा वादी के खानदान में नहीं है और न ही इस नाम का कोई व्यक्ति पीपल्दा में है। दिलावरशाह वादी के दादा का नाम नाम है। दिलावरशाह के मजीदशाह नाम का एक ही पुत्र है, दूसरा नहीं है।

आ— यह कि हो सकता है मजीद के स्थान पर रसीद का नाम दर्ज हो गया है।

ई— आराजी पर अब्दुल रसीद का कभी कब्जा ही नहीं रहा।

वादी ने अपने इस कथन के समर्थन में स्वंय के एवं गवाह अलीमोहम्मद के बयान कराये हैं। Exp5 नकल नामातंरकरण नं0 90 ग्राम पीपल्दा है, जो खातेदार शुभरातीशह का फौती इंतकाल है तथा इसे दिनांक 27.12.1980 को ग्राम पंचायत धानौदाकलां ने खातेदार शुभरातीशाह के भाई के पुत्र अब्दुल रसीद पुत्र दिलावरशाह के नाम तस्दीक किया है, जिस पर केवल सरपंच ग्राम पंचायत धानौदाकलां, पंच पांचीबाई, पंच द्वारकालाल के हस्ताक्षर हैं अर्थात कोरम के हस्ताक्षर नहीं हैं और न हीं मृतक खातेदार शुभरातीशाह के वारिसान को तलब कर सुने जाने का साक्ष्य इस इंतकाल पर मौजूद हैं। ऐसे में इस इंतकाल को तस्दीक करने में ग्राम पंचायत धानोदाकलां ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना की है। चूँकि तनकी नं0 2 के अनुसार वादी ईश्हाक शाह खातेदार शुभराती शाह का वारिस होना साबित है। साथ ही प्रतिवादीगण ने वादी के कथन का विरोध नहीं किया है। ऐसे में इंतकाल नं0 90 वादी के अधिकारों पर बेअसर है। इस प्रकार यह तनकी वादी के पक्ष में एवं खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

4. आया ख0नं0 379/467 की 11.12 बीघा आराजी पर प्रति0 2 लगा0 4 ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है ? —— वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने अपने इस कथन के समर्थन में स्वंय के एवं गवाह अलीमोहम्मद के बयान कराये हैं, जिनसे वादग्रस्त आराजी पर प्रति0नं0 2 लगा0 4 का कब्जा होना प्रकट होता है। वहीं प्रति0नं0 2 गुलाबचंद अपने बयानों की जिरह में स्वंय यह स्वीकार करता है कि " यह बात सही है कि मैंने ग्राम पीपल्दा के माल की ख0नं0 249, 379/467 की 11.12 बीघा आराजी किसी से नहीं खरीदी, यह कहना भी गलत हे कि मेरा कब्जा 379/467, 249 की आराजी पर हो, मुझे इस ख0नं0 379/467 की आराजी पर से कब्जा छोड़ने में मुझे

उपखण्ड अधिकारी
आनपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

कोई आपत्ति नहीं है।" इस प्रकार यह तनकी स्पष्ट रूप से वादी के पक्ष में एवं खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

5. आया वादी को दिनांक 6.6.2011 को प्रतिवादी द्वारा कब्जा नहीं हटाने से वाद हेतु उत्पन्न हुआ है ? — वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने अपने वाद की मद नं0 5 में अंकित किया है कि वादी ने प्रतिवादीगण से जमीन से कब्जा छोड़ने के कहा तो वे इंकार हो गये, अंतिम बार वैसाख सुदी 3 सं0 2068 तारीख 6.5.2011 को कब्जा छोड़ने से इंकार होने एवं प्रति0कम 4 द्वारा गलत रूप से अब्दुल रशीद का नाम खाते में दर्ज करने से तथा दुरुस्ती से इंकार हो जाने से वाद हेतु उत्पन्न हुआ है। वादी ने अपने इस कथन के समर्थन में स्वंय एवं गवाह अलीमोहम्मद के बयान कराये है। वहीं प्रतिवादीगण ने इसका विरोध नहीं किया है। ऐसे में यह तनकी वादी के पक्ष में एवं खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

6. आया प्रति0 2 लगा0 4 ने शुवरातीशाह से पुराने ख0नं0 257 रकबा 5.06 बीघा, जिसके नये ख0नं0 204 रकबा 4.17 बीघा हो गये हैं, दिनांक 6.6.66 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, इसका क्या प्रभाव है ? — प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण 2 लगा0 4 पर था। प्रतिवादी ने इस तनकी के समर्थन में Exd1 बैयाननामा दिनांक 6.6.1966 पेश किया है, जिसमें शुवरातीशाह पुत्र सांवलशाह जाति फकीर निवासी पीपल्दा ने अपने खाते की ग्राम पीपल्दा की आराजी नम्बर 237 की 5.06 बीघा का बैयान 1350/—रु0 में बांट बराबर से श्री फूलचंद, गुलाबचंद, बृजमोहन पिसरान पन्नालाल जाति महाजन निवासी पीपल्दा को किया जाकर कब्जा आराजी खरीददारान को दिया जाना अंकित है। प्रतिवादीगण 2 लगा0 4 ने अपने जवाबदावा की मद नं0 2 में अंकित किया है कि पुराने ख0नं0 237 रकबा 5.06 बीघा का वर्तमान ख0नं0 204 रकबा 4.17 बीघा है। यहां वादी का वाद ग्राम पीपल्दा की ख0नं0 379/467 की 11.12 बीघा से संबंधित है, जिसके मिलान खसरा ग्राम पीपल्दा सं0 2020 के अनुसार साबिक नं0 24 मि0, 27 मि0, 23 मि0 है, जिसका बैयान होने का कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं आया है। जब Exd1 बैयाननामा दिनांक 6.6.1966 से वादग्रस्त आराजी हाल नं0 ख0नं0 379/467 की 11.12 बीघा, साबिक नं0 24 मि0, 27 मि0, 23 मि0 का बैयान नहीं हुआ है तो बैयाननामा दि0 6.6.1966 का इस वाद पर कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे में यह तनकी प्रतिवादीगण 2 लगा0 4 के खिलाफ व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी ने अपने वाद को बखूबी साबित कराया है। ऐसे में वादी, वाद में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वाद, वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा वादी ईशाक शाह पुत्र मजीदशाह जाति फकीर निवासी पीपल्दा हाल खानपुर को ग्राम पीपल्दा की ख0नं0 379/467 की 11.12 बीघा आराजी का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। ग्राम पीपल्दा के नागा0सं0 90 को वादी के अधिकारों पर बेअसर घोषित किया जाता

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

है। प्रति0नं0 1 अब्दुल रसीद का नाम खाते से खारिज हो। साथ ही प्रति0नं0 2 लगा0 4 को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे। राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
आनपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 23/10/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
आनपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2019.11.07 13:21:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: